08/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी नेकाराम चौधरी उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत एवं श्री रिछपाल सिंह उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब नही दिया जाकर बहस किये जाने हेतु निवेदन किया। उपस्थित वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वादग्रस्त भूमि ग्राम घणी के खसरा नंबर 859 रकबा 3.26 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि के संबंध में मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली (जिला-पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner